डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

लेहसुआ बनाम बर्फी वगै०

मुकदमा नंबर 64/2018 दावा बाबत 188 रा०का० अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खाता सं. 407 के आराजी खसरा नम्बरान 753 रकवा 0.03, 783 रकवा 0.22, 796 रकवा 0.16, 797 रकवा 0.19, 798 रकवा 0.18 किता 5 रकवा कुल 0.78 है. वाके मौजा छतरपुर तहसील नदबई में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर बयनामा दिनांक 17.10.1986 के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे मृतक लक्ष्मन पुत्र तोता के नाम को कलमजन किया जाता है।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख ....27/08/2024.... को जारी की गई ।

मुहर दस्तखत— 27/8/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. लेहसुआ पुत्र हिल्लू जाति जाटव निवासी लालपुर तहसील नदबई (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. बर्फी वेवा लक्ष्मन जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर (भरतपुर)
2. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मन जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर (भरतपुर)
3. अशोक पुत्र लक्ष्मन जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर (भरतपुर)
4. रतनलाल पुत्र लक्ष्मन जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर (भरतपुर)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 124/2014
जीसीएमएस न. 2014/00156
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 27-08-2024

1. लेहसुआ पुत्र हिल्लू जाति जाटव निवासी लालपुर तहसील नदबई (भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. बर्फी वेवा लक्ष्मन जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर (भरतपुर)
2. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मन जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर (भरतपुर)
3. अशोक पुत्र लक्ष्मन जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर (भरतपुर)
4. रतनलाल पुत्र लक्ष्मन जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर (भरतपुर)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री भगवानसिंह फौजदार एड0(वादीगण)

:: निर्णय :: दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि उक्त मुकदमा उनवान के दावा में पूर्व खातेदार लक्ष्मन पुत्र तोता की मृत्यु हो चुकी है, जिसके स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा वादी व प्रतिवादीगण में से कोई भी पक्षकार नावालिग एवं फातरूल अक्ल नहीं है, सभी दावा लडने में सक्षम हैं।
2. यह कि विवादित आराजी खाता सं. [illegible] आराजी खसरा नम्बरान 753 रकवा 0.03, 783 रकवा 0.22, 796 रकवा [illegible] 797 रकवा 0.19, 798 रकवा 0.18 किता 5 रकवा कुल 0.78 है वाके [illegible] छतरपुर तहसील नदबई में स्थित है जो साबिक खसरा नं. 24 रकवा 3 वीघा 1 बिस्वा से बने हैं, विवादित आराजी को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.10.1986

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 19:04:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से कीमतन क्रय किया था तभी से वादी व हैसियत खातेदार विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा क्रय की गई आराजी का नामांतकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की तो इन्तकाल न. 889 दिनांक 14.06.1989 को राजस्व कर्मचारियों ने निरस्त कर दिया जिसके कारण आज तक प्रार्थी वादी द्वारा क्रय की गई आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं हो सकी है जबकि साबिक खसरा न. 24 काफी बड़ा खसरा न. था तथा बाद में सं. 2060 में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा तरमीम करते समय हाल खसरा न. 753/0.03, 783/0.22, 796/0.16, 797/0.19, 798/0.18 किता 5 रकवा कुल 0.78 है. साबिक खसरा न. 24 रकवा 3 बीघा 1 बिस्वा से बनाये गये हैं जो सही है तथा साबिक व हाल साबिक व हाल रकवा में रिकॉर्ड के आधार पर भी कोई असमानता नहीं है, ऐसी स्थिति में वादी वयनामा दिनांक 17.10.86 के आधार पर विवादित आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

3. यह कि विवादित आराजी के विक्रेता लक्ष्मन पुत्र तोता की मृत्यु हो चुकी है तथा दिनांक 04.06.2018 को मृतक लक्ष्मन के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने वादी को खुलेआम धमकी दी है कि विवादित आराजी का विरासत का दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज कराकर वादी को विवादित आराजी से बेदखल करके रहेंगे व काश्त नहीं करने देंगे, अगर प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी, जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी, ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाईदबामी की डिक्री से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं।

4. यह कि बिनाय मुखास्मत योम देने धमकी दिनांक 04.06.2018 से वाद पैदा होकर वादी को यह दावा न्यायालय में पेश करना पडा, मुकदमे में सभी पक्षकार मुकदमा न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है, जिसका तलवाना नियमानुसार चस्पा है।

5. अन्त में प्रार्थना है कि विवादित आराजी का वादी को वयनामा दिनांक 17.10.1986 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे मृतक लक्ष्मन पुत्र तोता के नाम को कलमजन किये जाने के आदेश किये जावें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 की तलवी हो चुकी है, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ।अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2071–74, नकल वयनामा दिनांक 17.10.86, नकल नक्शा ट्रेस , नकल नामान्करण सं. 889, नकल [illegible] क्षेत्रफल सं. 2060, नकल जमाबदी संवत 2045–48, नकल जमाबंदी सं. [illegible]–52 वाके ग्राम छतरपुर तहसील नदबई एवं गवाहान के रूप में [illegible] पुत्र हिल्लू जाटव निवासी लालपुर, गंगाराम पुत्र रामकिशन जाति जाटव निवासी लालपुर, हीरालाल पुत्र सन्तोकी जाति जाटव निवासी लालपुर के लिखित बयान पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। विवादित आराजी खाता सं. 407 के आराजी खसरा नम्बरान 753 रकवा 0.03, 783 रकवा 0.22, 796 रकवा 0.16, 797 रकवा 0.19, 798 रकवा 0.18 किता 5 रकवा कुल 0.78 है. वाके मौजा छतरपुर तहसील नदबई में स्थित है जो साबिक खसरा न. 24 रकवा 3 वीघा 1 बिस्वा से बने हैं, विवादित आराजी को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.10.1986 से कीमतन क्रय किया था । नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही निरस्त किये जाने के कारण वादीगण के नाम दाखिला खारिज नहीं हो पाया है। वादी द्वारा विवादित आराजी को जरिये वयनामा कय किया गया है। इसलिए वादी को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खाता सं. 407 के आराजी खसरा नम्बरान 753 रकवा 0.03, 783 रकवा 0.22, 796 रकवा 0.16, 797 रकवा 0.19, 798 रकवा 0.18 किता 5 रकवा कुल 0.78 है. वाके मौजा छतरपुर तहसील नदबई में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वयनामा दिनांक 17.10.1986 के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे मृतक लक्ष्मन पुत्र तोता के नाम को कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/8/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

27/8/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:04:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner